APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

जेतू पिता छितर बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला गुलाबपुरा बनाम नन्दकिशोर पिता छीतर बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा– वाद–पत्र अन्तर्गत धारा – 53, 188 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या– 190/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.2018	बाद जांच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिलस दिनांक 21.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र लाम्बा पेश करे। सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा	
21.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट लाम्बा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है । ग्राम लाम्बा की आराजी मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 1 से 9 की संयुक्त हिस्सेयाबी मिलकियत कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 1 का समान हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 2 से 9 का समान हक हिस्सा निहित है। और इसी हक हिस्से के अनुसार फरीकेन सम्मिलित रुप से काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की होने से आये दिन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि सीमा को लेकर विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है । तथा वादीगण को भूमि को तरक्की देने में कठिनाई होने से वह मुताबिक हक हिस्से की आराजीयात का विभाजन करवाना चाहता है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन करवा जावें । मैंने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है – वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा लाम्बा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नम्बर– 1845, 1846, 1847, 1848 किता 4 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा भूमि जेठू , नन्दकिशोर, रतन पिता छीतर , नौरती पुत्री छीतर 1/3, ओम, भागचन्द, पुत्र छोटी, मधु, पुत्री छोटी, रेखा, पुत्री छोटी ना.बा.व.बि. मधु, 1/6, कालु राम छोटू, बडा मुन्ना, छोटा मुन्ना, रामा पिता हीरा 1/2, बैरवा साकिन गुलाबपुरा दर्ज रिकार्ड होना तथा हक त्याग से नौरती पुत्री छीतर , ओम, भागचन्द , पुत्र छोटी, मधु, रेखा, पुत्री छोटी के बजाय जेठू , रतन पिता छीतर का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

यहाँ वादीगण का कथन है कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की होने से फरीकेन के मध्य भूमि की कमी पेशी को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है व आराजीयात को तरक्की करनें में परेशानी रहती है । इसलिये वादी आराजी मुतदाविया का माफिक हक हिस्सा के अनुसार विभजान चाहते है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहे है। उनके द्वारा न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, और न ही कोई काउण्टर क्लेम । चूँकि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी के अनुसार आराजी मुतदाविया के वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपने भूमि के विभजान करवानें के पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है ।

"निर्णय"

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1845, 1846, 1847, 1848 किता 4 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा भूमि के खातेदारान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता है कि वह आज ही उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत करें । निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को केम्प कोर्ट लाम्बा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

18 तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

1– जेठू रतन पिता छीतर हिस्सा 4/5 नन्दकिशोर पिता छीतर 1/5 बैरवा साकिन गुलाबपुरा खातेदार :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान

Scanned by CamScanner

लाम्बा	1848	07 बीघा 04 बिस्वा	6.48
	1847/1	00 बीघा 10 बिस्वा	0.45
कुल किता 02		07 बीघा 14 बिस्वा	6.93

2– कालुराम, छोटू, छोटा मुन्ना, रामा पिता हीरा, अशोककुमार, प्रकाश, मनीष, पिता वडा मुन्ना, माया देवी पत्नि वडा मुन्ना बैरवा साकिन गुलाबपुरा खातेदार :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	1845	03 बीघा 12 बिस्वा	
	1846	02 बीघा 04 बिस्वा	
	1847/2	01 बीघा 19 बिस्वा	
कुल किता 03		07 बीघा 15 बिस्वा	6.97

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फैशल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को केम्प कोर्ट लाम्बा पर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner